पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15–08–2022

दिनांक 14/15–08–2022 को रात्रि थाना ठाकुरगंज 05, नगराम 01, मड़ियॉव 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अभियुक्त गिरफ्तार।

नगरामः–दिनांक 14–08–2022 को एस0आई0 श्री अवधेश कुमार यादव थाना नगराम लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभि0 1–रामदेव पुत्र सोहनलाल निवासी मदारपुर थाना नगराम लखनऊ को ग्राम करौरा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का एक अदद पम्प सेट (पंखा पानी वाला) बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

मड़ियॉवः–दिनांक 15–08–2022 को थाना मड़ियॉव द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती शबीना पत्नी इरफान निवासी बड़ा खुदान थाना मड़ियॉव लखनऊ ने थाना मड़ियॉव पर सूचना दिया कि वादिनी के पुत्र फरान जिसकी शादी तरन्नुम पुत्री कलीम निवासी बड़ा खुदान थाना मड़ियॉव लखनऊ से हुई थी, लेकिन वादिनी के बेटे के ससुराल वालों ने मुकदमा कर रखा था, कई बार मारने की धमकी दे रहे थे, आज वादिनी का बेटा वहीं मोहल्ले में काम कर रहा था, रात्रि करीब 08.00 बजे कल्लू, शरीफ, कलीम, सन्नों, नसीमुन निशा, अन्जुम, तरन्नुम इन लोगों ने वादिनी के बेटे के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, सलमान ने वादिनी के बेटे के सिर पर वार कर दिया, जिससे वादिनी के बेटे के सिर पर गम्भीर चोटें आयी हैं, और उपरोक्त सभी लोग गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस सूचना पर थाना मड़ियॉव पर मु0अ0सं0 440/2022 धारा 147/323/504/506/308 भादवि का अभियोग बनाम 1–कल्लू 2–शरीफ 3–कलीम 4–सन्नों 5–नसीमुन निशा 6–अन्जुम 7–तरन्नुम के विरुद्व पंजीकृत किया गया।

मदेयगंजः–दिनांक 15–08–2022 को थाना मदेयगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री दीपक राजपूत पुत्र मिठाईलाल निवासी लोनी कटरा रुपपुर खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ ने थाना मदेयगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 13–08–2022 को समय करीब 09.00 बजे रात्रि को दीपक पुत्र लल्लू व लवकुश पुत्र लल्लू व छोटी निवासी लोनी कटरा पीपल चौराहा लखनऊ ने वादी के छोटे भाई जितेन्द्र पुत्र मिठाई लाल व वादी की माता अशोका रानी व वादी के पिता मिठाईलाल को कड़ा, बेल्ट व लात घूसों से मारा पीटा, जिससे वादी के भाई का सिर फट गया, दीपक पुत्र लल्लू आदि वादी के घर के सामने बैठते हैं, और मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। इस सूचना पर थाना मदेयगंज पर मु0अ0सं0 16/2022 धारा 323/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री विकास कुमार द्वारा की जा रही है।